## कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 'कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2003

सा. का. नि. 2.—राष्ट्रपति एतद्द्वारा संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) तथा अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के परामर्श से केन्द्रीय सिविज सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 में आगे और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम चनाते हैं, अर्थात:—

- 1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन नियमावली, 2003 है।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नव्ये दिन पश्चात् प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 में नियम 10 में उप नियम 5 के परचात् निम्नलिखित उप नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—
- "(6) इस नियम के अंतर्गत किए गए अथवा किया हुआ समझे गए निलंबन के किसी आदेश की समीक्षा, इस आशय के लिए गठित समीक्षा-समिति की सिफ़ारिश पर निलंबन के आदेश की तारीख के नब्बे दिन के भीतर, निलंबन में संशोधन अथवा इसे रह करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाएगी और निलंबन की अवधि को आगे बढ़ाने अथवा इसे रह किए जाने के आदेश जारी करेगा। याद की समीक्षाएँ, निलंबन की बढ़ाई गई अवधि के समाप्त होने से पूर्व की जाएंगी। निलंबन की बढ़ाई जाने वाली अवधि एक समय में 180 दिन से अधिक नहीं होगी।
- (7) उप नियम 5 में विहित किसी वात के हाने के वायजूद भी, इस नियम के उप नियम (1) अथवा (2) के अंतर्गत किया गया अथवा किया हुआ समझा गया निलंबन का कोई आदेश 90 दिन की अविध के पश्चात् वैध नहीं होगा जब तक कि 90 दिन की समाप्ति से पूर्व, निलंबन की अविध, समीक्षा किए जाने के पश्चात् आगे और बढ़ा नहीं दी जाए।"

[फा. सं. 11012/4/2003-स्थापना (क)] श्रीमती प्रतिभा मोहन, निदेशक पाद-टिप्पण: प्रधान नियम, दिनांक 20-11-65 की अधिसूचना संख्या 7/2/63-स्थापना (क) के अंतर्गत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और वाद नें भारत के राजपत्र के भाग-।। खंड-3, उप खंड (ii) में प्रकाशित निम्नलिखित संख्या और तारीख वाली अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किए गए थे:—

> का.आ. 1149 दिनांक अप्रैल 13, 1966 का.आ. 1596 दिनांक जून 04, 1966 का.आ. 2007 दिनांक जुलाई 09, 1966 का.आ. 2648 दिनांक सितम्बर 02, 1966 का.आ. 2854 दिनांक अक्तूबर 01, 1966 का.आ. 1282 दिनांक अंग्रैल 15, 1967 का.आ. 1457 दिनांक अप्रैल 29, 1967 का.आ. 3253 दिनांक सितम्बर 16, 1967 का.आ. ३५३० दिनांक अक्तूबर ०७, १९६७ का.आ. 4151 दिनांक नवम्बर 25, 1967 का.आ. 321 दिनांक मार्च 09, 1968 का.आ. 1441 दिनांक अप्रैल 27, 1968 का.आ. 1870 दिनांक जून 01, 1968 का.आ. 3423 दिनांक सितम्बर 28, 1968 का.आ. 5008 दिनांक दिसम्बर 27, 1969 का.आ. ३९७ दिनांक फ्रवरी ०७, १९७० का.आ. 35217 दिनांक सितम्बर 25, 1971 का.आ. 249 दिनांक जनवरी 01, 1972 का.आ. 990 दिनांक अप्रैल 22, 1972 का.आ. 1600 दिनांक जुलाई 01, 1972 का.आ. 2789 दिनांक अवतृषर 14, 1972 का.आ. 929 दिनांक मार्च 31, 1973 का आ. 1648 दिनांक जुलाई 06, 1974 का.आ. 2742 दिनांक जुलाई 31, 1976 का.आ. 4664 दिनांक दिसम्बर 11, 1976 का.आ. 3062 दिनांक अवत्वर 08, 1977

का.आ. 3573 दिनांक नवम्बर 26, 1977 का.आ. 3574 दिनांक नवम्बर 26, 1977 का.आ. 3671 दिनांक दिसम्बर 03, 1977 का.आ. 2464 दिनांक सितम्बर 02, 1978 का.आ. 2465 दिनांक सितम्बर 02, 1978 का.आ. 920 दिनांक फरवरी 17, 1979 का.आ. 1769 दिनांक जुलाई 05, 1980 का.आ. 264 दिनांक जनवरी 24, 1981 का.आ. 2126 दिनांक अगस्त 08, 1981 का.आ. 2512 दिनांक अक्तूबर 03, 1981 का.आ. 2512 दिनांक जनवरी 23, 1982

अधिसूचना संख्या 11012/15/84-स्था. (क) दिनांक जुलाई 05, 1985 अधिसूचना संख्या 11012/05/85-स्था. (क) दिनांक जुलाई 29, 1985 अधिसूचना संख्या 11012/06/85-स्था. (क) दिनांक अगस्त 06, 1985

. का.आ. 5637 दिनांक दिसम्बर 21, 1985 ं का.आ. 5743 दिनांक दिसम्बर 28, 1985

अधिसचना संख्या 11012/24/85-स्था. (क) दिनांक नवम्बर 26, 1986

का.आ. 830 दिनांक मार्च 28, 1987

फा.आ. 831 दिनांक मार्च 28, 1987

का,आ, 1591 दिनांक जून 27, 1987

का.आ. 1825 दिनांक जुलाई 18, 1987

का.आ. 3060 दिनांक अक्तूबर 15, 1988

का.आ. 3061 दिनांक अंक्तूबर 16, 1988

का.आ. 2207 दिनांक सिंतम्बर 16, 1989

का.आ. 1084 दिनांक अप्रैल 28, 1990

का.आ. 2208 दिनांक अगस्त 25, 1990

का.आ. 1481 दिनांक जुन 13, 1992

सा.का.नि. 289 दिनांक जून 20, 1992/भाग-II, खंड 3, डप-खंड-(i)

सा.का.नि. 589 दिनांक दिसम्बर 26, 1992

सा.का.नि. 499 दिनांक अयतुवर 08, 1994

सा.का.नि. 276 दिनांक जून 10, 1995

सा.का,नि. 17 दिनांक फरवरी 20, 1996

सा.का,नि. 125 दिनांक मार्च 16, 1996

सा.का.नि. 417 दिनांक अक्तवर 05, 1996

सा.का.नि. 337 दिनांक सितम्बर 2, 2000

सा.का.नि. 420 दिनांक अक्तूबर 28, 2000

सा.का.नि. 211 दिनांक अप्रैल 14, 2001

सा.का.नि. 60 दिनांक फरवरी 13, 2002

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

## (Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 23rd December, 2003

- G.S.R. 2.—In exercise of the powers conferred by the provise to Article 309 and clause (5) of Article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, namely:—
- I. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Amendment Rules, 2003.
- (2) They shall come into force on expiry of 90 days from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Central Civil Services Classification, Control and Appeal Rules, 1965, in rule 10, after sub-rule 5(e), the following sub-rules shall be added, namely:—
- "(6) An order of suspension made or deemed to have been made under this rule shall be reviewed by the authority which is competent to modify or revoke the suspension, before expiry of 90 days from the date of order of suspension on the recommendation of the Review Committee constituted for the purpose and pass orders either extending or revoking the suspension. Subsequent reviews shall be made before expiry of the extended period of suspension. Extension of suspension shall not be for a period exceeding 180 days at a time.
- (7) Notwithstanding anything contained in sub-rule 5(a), an order of suspension made or deemed to have been made under sub-rules (1) of (2) of this rule shall not be valid after a period of 90 days unless it is extended after review, for a further period before the expiry of 90 days."

[F. No. 11012/4/2003-Estt. (A)] Smt. PRATIBHA MOHAN, Director

Note:—The Principal Rules were published in the Gazette of India vide Notification No. 7/2/63-Estt. (A) dated 20-11-65 and subsequently amended by Notifications published in the Gazette of India Part II, Section 3, Subsection (ii) under the following numbers and date:—

S.O. 1149 dated 13th April, 1966

S.O. 1596 dated 4th June, 1966

S.O. 2007 dated 9th July, 1966

S.O. 2648 dated 2nd September, 1966

S.O. 2854 dated 1st October, 1966

S.O. 1282 dated 15th April, 1967

S.O. 1457 dated 29th April, 1967

S.O. 3253 dated 16th September, 1967

S.O. 3530 dated 7th October, 1967

S.O. 4151 dated 25th November, 1967

S.O. 321 dated 9th March, 1968

S.O. 1441 dated 27th April, 1968

S.O. 1870 dated 1st June, 1968

S.O. 3423 dated 28th September, 1968

S.O. 5008 dated 27th December, 1969

S.O. 397 dated 7th February, 1970

S.O. 35217 dated 25th September, 1971

S.O. 249 dated 1st January, 1972

S.O. 990 dated 22nd April, 1972

S.O. 1600 dated 1st July, 1972

S.O. 2789 dated 14th October, 1972

S.O. 929 dated 31st March, 1973

S.O. 1648 dated 6th July, 1974

S.O. 2742 dated 31st July, 1976

S.O. 4664 dated 11th December, 1976

S.O. 3062 dated 8th October, 1977

S.O. 3573 dated 26th November, 1977

S.O. 3574 dated 26th November, 1977

S.O. 3671 dated 3rd December, 1977

S.O. 2464 dated 2nd September, 1978

S.O. 2465 dated 2nd September, 1978

S.O. 920 dated 17th February, 1979

S.O. 1769 dated 5th July, 1980

S.O. 264 dated 24th January, 1981

S.O. 2126 dated 8th August, 1981

S.O. 2203 dated 22nd August, 1981

S.O. 2512 dated 3rd October, 1981

S.O. 168 dated 23rd January, 1982

Notification No. 11012/15/84-Estt. (A) dated 5th July, 1985

Notification No. 11012/05/85-Estt. (A) dated 25th July.

1985

Notification No. 11012/06/85-Estt. (A) dated 6th August, 1985

S.O. 5637 dated 21st December, 1985

S.O. 5743 dated 28th December, 1985

Notification No. 11012/24/85-Estt. (A) dated 26th November, 1986

S.O. 830 dated 28th March, 1987

S.O. 831 dated 28th March, 1987

S.O. 1591 dated 27th June, 1987

S.O. 1825 dated 18th July, 1987

S.O. 3060 dated 15th October, 1988

S.O. 3061 dated 16th October, 1988

S.O. 2207 dated 16th September, 1989

S.O. 1084 dated 28th April, 1990

S.O. 2208 dated 25th August, 1990

S.O. 1481 dated,13th June, 1992 .

G.S.R. 289 dated 20th June, 1992/In Part. II Sec. 3, Sub-Scc. (i)

G.S.R. 589 dated 26th December, 1992

G.S.R. 499 dated 8th October, 1994

G.S.R. 276 dated 10th June, 1995

G.S.R. 17 dated 20th February, 1996

G.S.R. 125 dated 16th March, 1996

G.S.R. 417 dated 5th October, 1996

G.S.R. 337 dated 2nd September, 2000

G.S.R. 420 dated 28th October, 2000

G.S.R. 211 dated 14th April, 2001

G.S.R. 60 dated 13th February, 2002.